विधवा विवाह

राय बहादुर नानकचंद सी. आय. ई.

कारभारी इन्दौर स्टेट कृत

सन १९०८. ईसवी.

इन्दौर.

श्रीगणेशायनमः

विधवाविवाह.

विधवाविवाह यह एक एसा मामला है कि जिसपर अभीतक बहुत लोगोंके मत यथा योग्य विचार अनुरूप ठेरे नहीं. कई एक लोग विधवाविवाहको धर्मशास्त्रके विरुद्ध समझते है और कई उसके अनुसार. इसलिये इस पुस्तकमें इस विषयकी विवेचना की जाती है.

हरएक बातकी बुराई भलाई स्थापन करनेके लिये प्रायः चार तरहकी जांच काफी होतीहै. (१) येकि अपने वेदोंमे क्या लिखा है. (२) कि पहिले जमानेके ऋषी और मुनी क्या फरमाते है. (३) यहकि सांप्रत कालके ऋषी और मुनी अर्थात विद्वान और बुद्धिमान लोग क्या कहते है. और (४) यहकि दुसरे मजहबके लोग बहु मतसे क्या मानते है. अब चारों तरहकी कसोटीपर इस विधवा विवाहके विषयको जरा लगाकर देखिये.

अव्वल अपने वेदोंमे क्या लिखाहै? सबसे पहिले यह विचार करना ठीक होगा कि विवाह ही क्यों किया जाता है? केवल संसारवश इंद्रियां होनेसे या कोई धर्मशास्त्रकी आज्ञा पालन करनेके लिये. इसके उत्तरमें मनुस्मृतीके अध्याय ९, श्लोक ९६ को देखिये.

॥ श्लोक ॥

प्रजानार्थं स्त्रियः सृष्टाः संतानार्थंच मानवाः
तस्मात्साधारणो धर्मः श्रुतौ पत्न्या सहोदितः ॥

कि जिसमें यह लिखाहै कि बच्चे देनेके वास्ते स्त्रियोंको बनाया गयाहै और बच्चा पैदा करानेके लिये पुरुषोंको. इसी वास्ते साधारण रीतीसे वेदमें कई काम पत्नीके साथ करना कहे गये हैं. जैसे अग्निहोत्र जो पत्नीके बिना हो नहीं सकता. इसके सिवा श्रुति और स्मृतिमें यहभी फरमाया है कि पुरुषके सिरपर पैदा होते ही ३ तरह के कर्ज सवार हो जातेहैं उनको देवऋण (देवताओंका कर्ज) ऋषीऋण (ऋषी लोगोंका कर्ज) और पितृऋण (पितरोंका कर्ज) कहतेहैं. देवताओंका कर्ज यज्ञ करनेसे और ऋषी लोगोंका कर्ज विद्या पढ़नेसे और पितरोंका कर्ज विवाह करके पुत्र पैदा करनेसे अदा होताहै. और यह भी लिखाहै कि उस नर्कसे कि जिसका पुननामहै तारने वाले को पुत्र कहतेहैं. गीताजी के पहिले अध्याय में लिखाहै.

पतंति पितरो ह्येषां लुप्तपिंडोदकक्रियाः ।

जिन पितरोंको पिंड और पानी मिलना बंद हो गयाहै वो अपने स्थान से गिर जातेहैं. और वशिष्ठजीने अपनी स्मृति अध्याय १७ में लिखाहै.

अनन्ताः पुत्रिणां लोकाः नापुत्रस्य लोको ऽस्तीति श्रूयते ।

"पुत्रवाले मनुष्योंको स्वर्ग हमेशाके लिये हासिल होताहै और बगैर लड़के वालेको स्वर्ग नहीं मिलताहै" इससे यह मालूम हुआ कि सन्तान पर इंद्रियां होनेके कारणसेही नहीं, बल्कै धर्म शास्त्रकी आज्ञा पालन करनेके लिये हरएक हिंदु धर्म वालेको विवाह करना उचित है, क्योंके पितरोंके कर्जसे बिना पुत्र पैदा हुए आदमी मुक्त नहीं हो सक्ता और क्योंके

बिना पत्नीके मोजूद हुए यज्ञ नहीं हो सक्ता. तो यहबात अवश्य ठेरी की विवाहके अनंतर और पुत्र होनेसे पहिले जो किसी स्त्री पुरुषके जोडेमेंसे कोई एक मर जाय तो जो बाकी बचे वो अपना शादी करके फिर जोडा मिलाय और पुत्र पैदा करके पित्रोंके कर्जसे माफ हो और यज्ञ इत्यादि जो वेदोक्त धर्म है उनको भी अनुसंधान करे. अब जो कोई यह शंका ले कि पुरुष तो दुसरी बार लग्न कर सक्ता है परंतु स्त्री नहीं कर सक्ती तो यह बडे अन्यायकी बात हो जायगी. और केवल स्वार्थ अर्थात अपने मतलबकी बात पाई जायगी. हमारे प्राचीन व पूज्य ऋषी लोग ऐसी हलकी तबियतके नहीं थे कि जो ऐसी बात कहते. देखिये वैशंपायन ऋषीका वचन है कि:—

पुरुषाणामिव स्त्रीणां विवाहा बहवो मताः।
भर्तृनाशे पुनः स्त्रीणां पुंसां पत्निलये तथा॥

"मरदोंकी तरह स्त्रियोंकेभी बहुतसे विवाह हो सक्ते हैं जैसे स्त्री के मरने पर पुरुष का दूसरा लग्न होताहै वैसेही पति के देहान्त होने पर स्त्री का भी विवाह फिर हो सक्ता है." इस से यह सिद्ध हुवा कि स्त्री और पुरुषोंके हक विवाह के विषय में समान है. क्योंके संतान दोनो के मेले बीना पैदा नहीं हो सक्ती.

अब यह देखना चाहिये के वेदोंमें के जो हिंदुधर्मका सबसे बडा आधार है. इस संबंध में क्या लिखा है. इस विषयपर बहुतसे प्रमाण दीये जानेसे यह पुस्तक बहोत बडी होजायगी. इस लिये थोडेसेही प्रमाण नीचे लिखे जाते हैं.

अथर्व वेदके कांड ९. प्रपाठक २० अनुवाक ३ और मंत्र २७ मे ये लिखा है.

या पुर्व पतिं वित्वा अथान्यं विन्दतेह परम पचौदन च तावजं ददातो न वियोषितः ॥

अर्थ. " जो स्त्री पहिले पतीके मरनेके पीछे दूसरेसे विवाह करे तो, अज पंचपोदन यज्ञ करनेसे दोनोंका विछोहा नही होगा ", इस मंत्रसे पायागया के अथर्ववेदमें स्त्रीकी दूसरी दफे शादी होनेकाही सिर्फ बयान नहीहै बल्के, कसी तरहेका यज्ञ करने से फिर तीसरी दफे विवाह करनेकी जरूरत नही पडेगी यह भी बताया है.

ऋग्वेदके ऋचा ४१ सूत्र ८५ मंत्र ४० में ऐसा लिखा है केः—

सोमोऽददद्गंधर्वाय गंधर्वोऽददद्ग्नये रयिंच पुत्रांश्चादादग्निर्मह्यमथोइमां ॥

इसके उपर श्रीमन् सायनाचार्यजीने अपने भाष्यमें ऐसा लिखा है केः—

सोमो गंधर्वाय प्रथमंअददत प्रदात गंधर्वोऽग्नये प्रदात्। अथो अपिच अग्निः इमां कन्यां रयिं धनं पुत्रांश्च मह्यं अदात् ॥

इसका अर्थ यह है के, " इस रयि कन्याको चंद्रमाने पहिले गंधर्वकोदीया. और गंधर्वने अग्नीको दीया. और उसके बाद अग्निने ये रयिकन्या धन और पुत्रोंको मुझे दीया ".

सामवेद मंत्र ब्राह्मण ७ प० ५ में इस तौरसे लिखा है के.

सोमोऽददद्गंधर्वाय गंधर्वोऽददग्नये ।
रयिंच पुत्रांश्चादादग्निर्मह्यमथो इमां ॥

इसका अर्थ येह हैके "चंद्रमाने दिया गंधर्वको और गंधर्वने दिया अग्नीको. उसके अनंतर रयि कन्याको और पुत्रोंको अग्निने मुझको दीया.

अथर्व वेद १४।२।३. ३०८ में ऐसा लिखा है के.

सोमस्य जाया प्रथमं गंधर्व स्तेऽपर: पति: ।
तृतियो अग्निष्टे पति स्तुर्यस्ते मनुष्यजा: ॥ ३ ॥
सोमो ददद्गंधर्वाय गंधर्वो ददग्नये रयिंच पुत्रांश्चा ददाग्निर्मह्य मथोइमां ॥ ४ ॥

अर्थ "तू पहिले चंद्रमाकी स्त्री था. पीछे तेरा पती गंधर्व हुवा तिसरा अग्नी हुवा और चौथा तेरा मनुष्यकी औलाद हुवा."

यजुर्वेद तैत्तिरय आरण्यक प्रपाठक ६ अनुवाक १ श्लोक १४ में ये फरमाया है के.

उदीर्ष्व नार्य्याभि जीवलोक मिता सुमेत मुपशेषए हि । हस्त ग्राभस्य दिधिषोस्त्वम तत्पत्युर्जनित्वमभि सम्बभूथ ॥

"ये स्त्री तू इस मरे हुवे पतीके साथ लेट रहीहै ऊठ. और जीते हुवे मनुष्योंके पास आ. और किसी विधवाका हात पकडनेवाले और पुनरविवाहकी इच्छा करनेवाले पतीकी स्त्री हो ये मंत्र दूसरे वेदोंमेंभी और आश्वलायन गृह्य सूत्र (४।२।१७) और बोधायनमेंभी पाया जाता है.

यजुर्वेदकी तैत्रिय संहिता अष्टक ६ अध्याय ६ प्रपाठक ४ अनुवाक ३ में यूं लिखाहै के.

यद् कस्मिन यूपे द्वे रशने परिव्ययति तस्मादेको द्वेजाये विन्देत। यन्नैकां रशनां द्वयो यूपयोः परिव्ययति तस्मान्नैका द्वौपती विन्देत॥

"जैसे एक यज्ञके स्तम्भसे दो रस्सीयां बांधी जा सकीहै. इसी तरहसे एक पुरुष दो स्त्रियोंसे विवाह कर सकता है. और जैसे एक रस्सी यज्ञके दो स्थम्भो नहीं बांधे सकती इसी तरहसे एक स्त्रीके दो पति नहीं रह सकते हैं." इसमें जो शब्द "विन्देत" आया है वो वर्तमान कालके वास्ते होता है. अर्थात जैसे एकही समयमे एक रस्सी दो यज्ञके स्तंभमे नहीं बंध सकती उसी तरह एकही कालमे एक स्त्रीके दो पती नहीं रह सकते है. इस मंत्रकी मनशाये पाई जाती है के एकही समयमे दो खाविंद नहीं करना परंतु एक जाता रहे तो दूसरा करनेमे हर्ज नहीं है और वेदमे यहभी दर्ज है.

"नैकस्या बहवः सह पतयः"

तैत्रीय ब्राह्मण प. ३ ख. २२

इसके मायने यह हैके एक स्त्रीके कई पती एक साथ नहीं हो सकतेहै. यहांपर एक साथके शब्दसे साफ जाहीर हैके पतीके मरने या अलहदा होनेके अनतर दुसरा पती होसकता है.

अथर्व वेद ३-२०-९. के मंत्र २८ में ये लिखाहै के

समान लोको भवति पुनर्भुवा परः पतिः.

अर्थ -दुसरीदफे विवाह करने वालीस्त्री के दुसरे पतीकी समान गति होतीहै. अर्थात परलोककी गतिमे कुछ फरक नही होता.

इनसब प्रमाणोंसे सिद्ध हुवाके चारोंवेदो मे विधवा विवाहके लिये पुर्ण अनुमोदन है.

(२) कि पहिले जमाने के ऋषी और मुनी क्या फरमाते है.

प्राचीन कालसे बहोतसे ऋषी और मुनी होगये है परन्तु उनमसे मनुजी और याज्ञवल्कके सिवाय. २८ ऐसे हुवे है के जिनके हुकुम स्मृतीयों के नामसे प्रसिद्ध है और इस समय पराशर, यो स्मृतिय; प्रसिद्ध है और इस समय तक वो स्मृतिया मोजुद है. उनमेके थोडेसे प्रमाण नीचे लिखे जातेहै.

पराशर स्मृति.

नष्टेमृते प्रव्रजिते क्लीबे च पतिते पतौ ।
पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥

"इसका अर्थ ये है के. जब पती खोया जाय या मर जाय या संन्यासी हो जाय या नामर्द पाया जाय या पतित हो जाय तो ऐसी पांच आफतोंमे स्त्रीके लिये दूसरा पती होना चाहिये".

याज्ञवल्क्य स्मृतिमे लिखाहै के.

॥ अक्षताच क्षताचैव पुनर्भूः संस्कृतापुनः ॥

अर्थ—जो स्त्री पतीके पास जा चुकीहो या न जा चुकीहो उसका संस्कार फिर होतो उस नारीको पुनर्भूः कहते है.

नारद स्मृतिके श्लोक ९८।९९।१०० मे लिखा है.

अष्टौवर्षाण्युदीक्षेत ब्राह्मणी प्रोषितं पतिम् ।
अप्रसुता तुचत्वारि परतोऽन्यं समाश्रयेत् ॥

क्षत्रीया षट् समास्तीष्टेद् प्रसूतास्समा त्रयम्
वैश्या प्रसूता चत्वारि द्वेवर्षे त्वितरा वसेत्
नशूद्रायाः स्मृतः काल एष प्रोषित योषिताम्

के जिसका अर्थ यह है के अगर ब्राह्मणीका पती कहीं चला जावे और उसका पता न लगे तो वह आठ बरसतक बाट देखे. और अगर उसके औलाद न हुई होतो चार बरसतक पीछे दूसरा पती करले. क्षत्रीयकी स्त्री ६ छे बरस तक बैठी रहे. और बिना औलादवाली होतो तीन बरसतक. और वैश्य लोगोंकी स्त्री प्रसूत हो चुकी होतो चार बरसतक और बिना औलादवाली होतो दो, बरसतक बाट देखे. शूद्रोंकी स्त्रीके लिये कोई कालकी मर्यादा नहीं है.

आगस्ती ऋषीने यह कहा है के.

" भर्त्रभावे वयः स्त्रीणां पुनः परिणयो मतः "

अर्थ पतीके जाते रहनेपर जवान स्त्रियोंका दूसरी दफे विवाह उचित है.

वसिष्ठ स्मृतिमें लिखा है के

याच क्लीबं पतितमुन्मत्तं वा पतिं मुत्सृज्य
अन्यं पतिं विन्दते मृते वासा पुनर्भू भवति ॥

" जो स्त्री नामर्द या पतीत या पागल पतीको छोडकर या पतीके मरने पर अन्य पतीको शामिल करती है, तो उसको पुनर्भू कहते है.

अत्रीमुनीने अपनीस्मृती मे यह लीखाहै के

नष्टे मृत्युमसमापन्ने व्याधिग्रस्तेच भर्तरि
पुनः स्त्रीणां विवाहः स्यात्कलावपि न संशयः

जब पती मरजाय या सन्यासले या असाध्य रोगोमे फसजाय तो कलीयुगमे भी निःसंशय स्त्रीका दुसरा विवाह होना उचीत् है.

ब्रह्मपुराण में लिखा है के.

यदि सा बालविधवा बलात्यक्ताथवा क्वचित्
तदाभूयस्तु संस्कार्या ग्रहित्वा येन केन चित्

जो स्त्री बाल विधवा हो या जबरदस्ती छोड दीगईहो. तो उसका दुसरा विवाह करदेना चाहीये. और कोईभी उसको अंगीकार करले.

महाभारत के भीष्मपर्वमे यह लीखाहै के. अर्जुनका बेटा जिसका नाम इरावान था और नाग राजाकी बेटीसे पैदाहुवा है. जिसदिना औलाद वालीबेटीको उसके पतीके सुपर्णसे मारे जानेपर इरावत राजाने अर्जुनको दीयाथाः

कुल स्मृतीयां एकही समयपर नही बनीहुईहैं. इसलिये उनमें किसी २ जगे आपसमें फरक पायाजाता है और ये वाजवीभी है. क्योंके जैसी २ समयानुसार अवश्यकता होतीगई. ऋषी मुनी लागभी वैसी २ आग्या करतेरहे. अब शंका पैदाहुई कि इन २० स्मृतीयोंसे सांप्रकालमें याने कलीयुगमे. कोनसी स्मृतीपर चलना चाहिये. इस शंकाके दूर करने के लिये यह आधार प्रसीद्धहै के.

कृतेतुमानवा धर्मास्त्रेतायां गौतमाः स्मृताः
द्वापरे शंखलिखिताः कलौ पाराशराः स्मृताः

" अर्थ — सतयुगमे मनुका धर्मशास्त्र, त्रेतायुगमे गौतमका और द्वापरमे शांख्य लिखितका. और कलीयुगमे पराशरका माना कहाहै. "

और पराशरजीने साफ लिख दियाहै (जिसके ऊपर लिख चुकेहै) के पतीके खोयेजानेपर या मरनेपर, संन्यास लेनेपर, नामर्द होजानेपर या पतित होजानेपर स्त्रीका दुसरी शादी होसक्ती है.

बहोतसे लोग यहभी दलील करतेहै के, आज कल जो रिवाज पडरहा है उसके विरुद्ध काम नहीं करना चाहिये परन्तु ये बात शास्त्रसे बिलकुल अनुमत नहीं है. क्योंके महाभारतमे लीखाहै के.

धर्मस्य जिज्ञासमानानां प्रमाणंच परं श्रुतिः।
द्वितीयं धर्मशास्त्रन्तु तृतीयं लोकसंग्रहः
नयत्र साक्षा द्विधयो ननिषेधाः श्रुतौस्मृतौ
देशाचारकुलाचारैस्तत्रधर्मो निरूप्यते ॥

" इसका अर्थ यहहै के धर्मके जाननेकी इच्छा करने वाले मनुष्यो के श्रुती अर्थात वेदसे बढकर कोई प्रमाण नहीं है. उससे उतरकर, धर्मशास्त्र अर्थात स्मृतीयां. और तीसरे दरजेपर लोग संग्रह अर्थात दुनया जिसबात को पसंद करे. जहांपरके साक्षात वेदमे या स्मृतीमे किसी कामका करना या न करना न लिखाहोतो उसके

लिये देशाचार और कुलाचार कोही धर्ममानना चाहिये अब ऊपर लिखे हुये वेदोंके प्रमाणसे स्वच्छ प्रतीत हे,चुकाहे के विधवा विवाह युक्त हे इसलिये जोकिसी स्मृती या किसी पुराण मे विधवा विवाह को अयुक्त लिखाहो या कीसी शब्दसे इसके धर्म विरुद्ध होनेकी शका आतीहो तो उसको बिलकुल मानना नही चाहीये क्योंके वेदके सामने स्मृती, और स्मृती के सामने पुराण बराबरी नही करसकती हे.

(३) सांप्रत कालके ऋषी और मुनी अर्थात विद्वान और बुद्धीवान लोग क्याकहते हे." इस बात पर दीर्घ विचार कियाजावे तो मालूम होताहेके बहुमत विधवा विवाह के विरुद्ध नही हे. जो विद्वान और बुद्धिवान विधवा विवाहके साहायक हे. उनमे से थोडे से नाम नीचे लिखे जाते हे

पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर	कलकत्ता
विष्णुशास्त्री पंडित	बंबई
विष्णुबोवा ब्रह्मचारी	महाराष्ट्र
सर टी माधवराव साहब. के सी एस. आइ. के जो बडोदे की रियासत के दिवान थे और हिंदुस्थान मे अपनेवक्तमे अव्वल दर्जे के लायक और बुद्धीमान समझे जातेथे।	
दिवाण बहादुर आर रघुनाथ राव	मद्रास
स्वामी दयानंद सरस्वतीजी	आर्यसमाज
बाबु केशव चंद्रसेन	ब्रह्मसमाज
बाबु देवेंद्रनाथ	बंगाल

बाबू प्रताप चंद्र — बंगाल

गुरुनानक और गुरु गोविंदनेभी (जो सिक्खोंके गुरुथे) विधवा विवाह को बुरानहीं कहा.

मि० जस्टिस माहादेव गोविंद रानडे जज्ज हाई कोर्ट बंबई

मि० जस्टिस चांदवडकर जज्ज हाई कोर्ट बंबई

आनरेबल दाजी आबाजी खरे बी. ए. एल. एल. बी., बंबई

पंडित नारायण केशव वैद्य — बंबई

राव बहादुर डाक्टर भंडारकर — बंबई

मि० दामोधर विनायक कीर्तने बारिस्टर एट-ला (जज्ज सदर कोर्ट इंदोर)

आनरेबल मि. जस्टिस आशुतोष मुकरजी. (जज्ज हाई कोर्ट, कलकत्ता (के जिन्होंने अपनी विधवा कन्या का पुनर्विवाह ता० २४ २-०८ के दीन अपनी जात के एक ब्राह्मण से किया)

इसके सीवाय बहोतसे एम. ए. बी.ए. और संस्कृत भाषामें विद्वावान इसवक्त इस विषयकी साहाय करने वाले मौजूदहै इन लोगोंको ये कहने की किसीकी शक्ति नहीं है के यह सब मुर्खहै. या हिंदूधर्म शास्त्र को पहेचानने में असमर्थहै. अगर कोई साहस करके ऐसा कहभी दे. के ये लोग धर्मके तत्वको नहीं जानते तो वो केवल अपनी पंडिताईकी सीमा दीखाता है.

है और शास्त्र और अकल के बाहर है दूसरे विवाह में क्या बल्कि प्रथम विवाह के समय पर ही यौवन अवस्था में पहोंच कर बिना किसी के दिये स्त्री और पुरुष का विवाह हो सक्ता है देखये मनुस्मृति के अध्याय ३ श्लोक २१ और उसके आगे वहां पर आठ प्रकारके विवाह लिखे हैं कि जिनके नाम, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, ऋषि विवाह, प्रजापति विवाह, असुर विवाह, गन्धर्व विवाह, राक्षस विवाह, और पिशाच विवाह, है इन में से गंधर्व विवाह की व्याख्या इस तरह है.

"वरवध्वो रिच्छया अन्योन्य संयोग गांधर्वः"

इसका अर्थ यह है कि वर और वधु अर्थात दूल्हा और दुलहन दोनों की इच्छा से जो आपस में मिलाप हो उस को गंधर्व विवाह कहते हैं इस कारण से बडी उमर के पीछे माता पिता इत्यादिकों की अनुमोदन की आवश्यक्ता नहीं और न उन के कन्यादान की आवश्यक्ता है क्योंकि जब एक स्त्री विज्ञान अवस्था को पहोंच कर अपना पति पसन्द करले तो मानसिक दान होचुका बाहिर से कन्या दान कोई करे या न करे ऐसे विवाह प्राचीन काल में बहुत से हुवा करते थे और स्वयंवर के नाम से प्रसिद्ध होते थे 'स्वयंवर' यह ऐसा शब्द है कि जिसको आपने लोगोंने भी सुना होगा और उस शब्दमें "स्वयं" और "वर" ये दो शब्द मिले हैं स्वयं के मायने खुद और वर के मायने पति अर्थात पतिको खुद यानि स्वतः पसंद करने की विधी को स्वयंवर कहते हैं और यही तरीका यूरप के तमाम देशों में जहां पर अंग्रेज, जरमन, फ्रांस, बडी बडी अकल मंद जातियें रहती हैं जारी है इस लिये जब प्रथम ही विवाह में जवान दुल्हा और दुल्हन की इच्छा पर विवाह का विनयोग किया गया है तो फिर कोई दलील नहीं है कि दूसरे विवाह के समय आने पर माता पितादिक की परवानगी की अटक बाकी रहे

कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि क्या औरतें बिना पुरुष
के रह नहीं सकतीं कि जो द्वितीय विवाह आवश्यक हो इस
बातका उत्तर इतना ही देना काफी है कि प्रकृती के नियमों
को रोकना मनुष्य की शक्ति के बाहर है जो किसी को
खाना खिलाया जाय और पानी पिलाया जाय और फिर
कहा जाय कि शौच को मत जाओ तो कोई कदाचित थोड़ी
देर तक ऐसा हुक्म मानेंगे लेकिन आखिर को इस हुक्म
की उदूली अर्थात आज्ञाभंग करनी ही पड़ेगी और प्रकृती
के नियमोंके अनुसार चलना ही अवश्य होगा इसी प्रकार से
यह विषय भी है इस में शंका नहीं कि उमर की छुटाई
और बड़ाई के साथ प्रकृती की प्रेरणा भी कम और जियादा
हो जाती है इस लिये ऋषि और मुनी लोगोंने कम उमर
की विधवाओं के लिये और खासकर उनके लिये जिनके
बच्चा पैदा न हुवा हो पुनर विवाह की आज्ञा दी है बड़े
अफसोस की बात है कि सन १९०१ ई० की मनुष्य गणना
में ५ वर्ष की उमर के अन्दर जो हिन्दुस्थान में १९४८७
विधवा पाई गईं उनमें १५६९८ हिन्दू मत की विधवा थीं
और ५ वर्ष से १० वर्ष उमर के अन्दर की ९५७९८ कुल
विधवाओं में से ७८४०७ हिंदू विधवा निकलीं और १० वर्ष
से १५ वर्ष तक की २७५८६२ विधवाओं में २२७३६७
हिंदू विधवा पाई गईं और १५ वर्ष से २० वर्ष तक की
५२२८६७ में से ४११०९३ चारलाख ग्यारह हजार तिरानवे
हिंदू बेवा गिनी गईं और कुल हिन्दुस्थान भर की २५८९-
१९३६ विधवाओं में १९७३८४६८ एक क्रोड़ सतानवे
लाख अड़तीस हजार चार से अड़सठ हिंदू धर्म की बेवा
निकलीं और कुल स्त्रियों की जो संख्या हिन्दुस्थान भर में
१४२९५६४४७ थी उसका ख्याल किया जावे तो प्रत्येक ५
स्त्रियोंमें एक विधवा होने का हिसाब लग जाता है अर्थात
हर १०० स्त्रियों में २० विधवा ये कितने बड़े अफसोस की

बात है और जो लोग कि ऐसी दशापर भी विधवा के विवाह को एक बुरा काम समझते है या पुनर्विवाह करने वाले का बिरादरी से खारिज करने का ख्याल अपने मन में लाते है उन की अकल पर शाबाश कहना चाहिये पुनर्विवाह का एक और यह कारण है कि मनुजीने और सब बुद्धिमानों ने यह फरमाया है कि स्त्री की जात नाजुक है और इसको स्वतंत्रता कभीनही चाहिये.

पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने
रक्षंति स्थावेर पुत्रा न स्त्री स्वातंत्र्य मर्हति

इस के मायने यह है कि बाल अवस्था में पिता रक्षण करे, और जवान अवस्था में पति रक्षा करे और बुढापेमें बेटा रक्षण करे स्त्री किसी काल में भी स्वतंत्रता अर्थात खुद मुख्तारी के लायक नहीं है. इस से यह साफ मालूम हुवा कि हमारे पुरुषाओं के कैसे अच्छे खियाल थे और वो इस प्रपंचकी ऊंच नीच को कैसी अच्छी तरह जानतेथे. और स्त्री का स्वभाव कैसा भोला होता है और वो चालाक आदमियों के बहकाने में प्रायः कैसी जल्दी आजाती है यह सब बातें उनको कैसी पक्की मालूमथी. जो सांप्रत काल की रीतीके अनुसार (और सांप्रत कालमें यह एक ही क्या बल्कि सकड़ों शास्त्र विरुद्ध कुरीत चल रही है.) बाल विधवा को पुनर्विवाह न करने दिया जाय तो न पति रहा जो जवानी में उसको रोके और न उसके बेटे ही होंगे कि जिनका उसको लिहाज रहे.

जो लोग कि स्त्री के पुनर्विवाह के विरुद्ध है वो प्रायः धर्म शास्त्र की उन आज्ञाओं को पेश किया करते है कि जहां अन्य पुरुष की तरफ दिल लगा । बल्कि अन्य पुरुष

को दिल में ध्यानभी करना मना लिखा है यह आज्ञा सब ठीक हैं और बहुत अच्छी है लेकिन इन आज्ञा ओं के पालन करने का समय मात्र निराला है जब के किसी स्त्री का पति जीवन्त हो तो उसको अन्य पुरुष का ध्यानभी करना बेशक पाप है परन्तु छोटी उमर में पति के मरनेपर वो आज्ञा कायम नहीं रहती उस समय के लिये दूसरी आज्ञा लिखी है इसी तरह से सभी बातों में सर्व साधारण आज्ञा एक हुआ करती है और विशेष आज्ञा दूसरी हुआ करती है जैसे देखिये कि वेद में लिखा है.

" मा हिंस्यात सर्वा भूतानि "

किसी प्राणी की हिंसा मतकरो अर्थात किसी जानदार चीज को मत मारो परन्तु वेदमे यहभी लिखा है के

" अश्व मेधेन यजेत "

" अश्व मेधसे यज्ञ करो " अर्थात घोड़े को मारके यज्ञ करो और इस यज्ञ के फायदे बहुत कुछ लिखे हैं और यहां तक लिखा है कि कोई १०८ अश्व मेध करले तो वो राजा इन्द्र हो जाता है और इसी वास्ते राजा इंद्र का एक नाम शतक्रतु है घोड़े का मांस यज्ञ में डाला जाताथा और खाया भी जाता था इसी तरह से वेद में यह भी लिखा है कि

" अग्नी षोमीयं पशु मालभेत " .

याने अग्नि और सोम नाम के देवता के लिये पशु

लाना चाहिये. अर्थात अग्नि व सोम देवता के वास्ते जो यज्ञ किया जाता है उस में पशु यानि ढोर मारा जाता है अब इन विशेष आज्ञाओं से जो साधारण आज्ञा उपर लिख चुके हैं कि किसी प्राणी को मत मारो वो रद् नही हुई उलटा यह जानना चाहिये कि किसी को मत मारो यह आज्ञा सर्व काल में सर्व साधारण हैं और विशेष काल और विशेष समय पर कार्य्य विशेष के लिये यज्ञ करना भी उचित है इसी तरह से जब तक स्त्री का पति जिंदा है. उसको अन्य पुरुष से यत्किंचित भी प्रीति संबंध नहीं रखना चाहिये परन्तु पराशर स्मृती में लिखे अनुसार.

नष्टे मृते प्रव्रजिते क्लीबे च पतिते पतौ।
पञ्चस्वापत्सु नारीणां पति रन्यो विधीयते॥

"जब पति खोया जाय या मर जाय या सन्यासी होजाय या नामर्द पाया जाय या पतित हो जाय तो इन पांच आफतों में स्त्री को दूसरा पति करने की परवानगी है" और इसी तरह से अगस्त्य मुनीने भी कहा है —के

भर्तृऽभावे वयः स्त्रीणां पुनः परिणयो मतः
न तत्रपापन्नारीणां अन्यथा तद् गतिर्नहि॥

पति के न रहने पर जवान औरतों को दूसरा विवाह करना योग्य है इस में स्त्रीयों को कोई दोष नही लगता दूसरी तरह से उन की गति नहीं है इससे जियादा साफ और क्या उपदेश हो सक्ता है सबसे बडे रञ्जकी बात तो यह है कि लोगबाग यह कहते हैं कि हम अपने

पुरखों के तरीके पर चलते हैं लेकिन वास्तविक करतः है उसके बिलकुल विरुद्ध यहां पर यह कहना भी अवश्य है के वाजे लोग श्रीपराशरजी महाराज की स्मृति के

नष्टे मृते प्रव्रजिते क्लीबेच पतिते पतौ
पञ्च स्वापत्सु नारीणां पति रन्यो विधीयते

इस श्लोक मे यह दोष निकालते हैं कि व्याकर्ण मे "पतौ" नहीं होसकता है "पत्यौ" चाहिये. ये कहना तो उनका दुरुस्त है लेकिन कविता में व्याकर्ण की पूरी तामील हर जगह नहीं हुवा करती और इसी वास्ते ऐसे प्रयोगों को आर्ष कहते हैं तथापि जैन मत की पुस्तकों में श्रीपराशर स्मृति का ये श्लोक इस तौरसे लिखा है के.

"पत्यौ प्रव्रजिते क्लीवे प्रनष्टे पतिते मृते
पञ्चस्वापत्सु नारीणां पति रन्यो विधीयते"

इस में कोई व्याकर्ण की उपमर्दता नहीं है और पराशर माधवी के ४०१ प्रष्ट पर लिखा है कि.

नष्टे मृते प्रव्रजिते क्लीवेच पतिते तथा
पञ्चस्वापत्सु नारीणां पति रन्यो विधीयते

ये प्रयोग भी व्याकर्ण रीतासे बिलकुल शुद्ध है इस वास्ते एक जगह जो एक प्रकार का शब्द आया हो और उसके प्रमाणांतर दूसरी जगह में मजूद हो तो

शंका को आस्पद नहीं है. इस लिये नष्टे मृते ये श्लोक जो पराशर स्मृती में आया है उसमें अश्रद्धा नहीं करनी चाहिये.

कई लोगों को ये शंका आती है के अगर विधवा विवाह पहले शास्त्रों में जारी था तो अबक्यों बंद होगया और इसका चलन छोटी जातियों में तो है परन्तु बड़ी जातियों में नहीं है इसका उत्तर यह है कि पहले जमाने में अर्थात द्वापर युग के अंत तक तो ये बात जारी थी जैसा कि इस पुस्तक के ९ वें पान में इरावन की उतपत्ती के व्रतांत से स्पष्ट है. और इसी के साथ उस जमाने तक पतिके मरे उप्रांत देवर के पास जाकर उस से बेटा पैदा कराना भी शास्त्र विहित था. श्रीमहा-भारत के आदि पर्व के १०५ अध्याय में श्लोक ३७ व ३८ में व्यासजी महाराज से प्रार्थना की गई है कि विचित्र वीर्य राजा के मरने से उनका वंश बंद होगया इस लिये उनकी जो दो विधवा रानियों रहगई उन रानियोंके पुत्र पैदा करादे वह श्लोक यह है:

आनृशं स्याच्चयद्दृयांत च्छुत्वा कर्तु मर्हसि ।
यवी यस स्तव भ्रातु भार्ये सुर सुतोपमे ॥
रूप यौवन संपन्ने पुत्र कामेच भमतः ।
तयो रुत्पादया पत्यं समर्थो ह्यसि पुत्रक ॥

और इस के बाद व्यासजी महाराजने भी यह मनजुर किया और एक रानीसे पंडु राजा पैदा हुवे और दूसरी रानी से राजा धृतराष्ट्र और ये पंडु राजा वही थे कि जिनके ५ महा प्राक्रमी बेटे पांडव के नामसे आज तक मशहूर

श्रीमहा-भारत इतिहास के करता व्यासजी महाराज स्वतः है इस लिये जब उन्हों ने अपने विषय में ये बात खुद लिखी है तो शंका करने की कोई जगह नहीं है इस से सिद्ध हुवा कि जब कलि युग में पहले विधवा स्त्रियें इस तरह से बच्चे पैदा करा सकती थीं तो उनको विवाह की बहोतसी अवश्यक्ता भी न होती होगी. कलियुग शुरू हुए पीछे कई सौ बल्कि दो तीन हजार वर्ष का समय ऐसा वितीत हुवा कि जिस का इतिहास भरोसे लायक कहीं नहीं मिलता बुद्धावतार के पीछे से अबतक बनी हुई कई पुस्तकें अंग्रेजों, मुसलमानों, और हिंदुवों की ऐसी है कि जिससे देशाचार का पता चलसक्ता है लेकिन कृष्णावतार और बुद्धावतार के दर्मियान का जो जमाना है उस में श्रीमद्भागवत के पीछे और कोई प्रामाणिक इतिहास नहीं मालूम होता इस लिये अंत्तराय में जो जो वेद और स्मृतियों के अनुसार द्वापर के अंत तक प्रचार जारीथे वो कैसे २ टुटे या बदल गये ये बयान करना अशक्य है इस ग्रंथ के पढने वाले महाशयों को समझ लेना चाहिये के जैसे सांप्रत कालके वहान मे रिवाज बदल ते जातेहै या नये पैदा होते जातेहै वैसेही पहले वक्त में भी होनाहा चाहिये इस लिये विधवा विवाह पहले जारी था और अब क्यों बंद होगया यह शंका व्यर्थ है. इस संसार में हरएक वस्तुको सदा स्थिति नहीं है. अब रही ये बात के इसका चलन छोटी जातियों में तो है और बडी में नहीं ये दूषण नहीं है बलकि भूषण है क्योंके जितनी प्राचिन बातेहै वो छोटी जाति वाले और गांव गोट के रहने वाले बडी मुशकिल से छोडते हैं और जो अपने तयीं उत्तम जाती समझ ते है या बडे २ नगरो में रहते है वोही अपनी पुरानी चालों को शीघ्रही छोड दिया करते है कई लोगोंको यह मालूम नहीं है कि सरकार अंग्रजी के कानून ने विधवा विवाह को माना है

इस लिये यह भी लिखा जाता है कि गवर्नमेंट ने सन १८५६ में अक्ट १५ जारि किया और उसमें विधवा विवाह को न्याय युक्त ठराया और वो अक्ट अर्थात कायदा अभी तक जारी है विधवा विवाह से जो सन्तान पैदा होती है उसका हक माल असबाब पर प्रथम स्त्री की सन्तान के हक के बराबर है.

इन उपर लिखी हुई सब बातो के विचार करने से यह निश्चित होता है कि जैसा अगस्ति ऋषिने फरमाया है.

"भर्तृऽभावे वयः स्त्रीणां पुनः परिणयो मतः"

कि पति के अभाव में अर्थात न होने से जवान स्त्रियोंका दूसरी दफे विवाह उचित है इस वचन पर चलना चाहिये अवरहा यह के स्त्री को जवान कहांतक समझना ये बात हर एक जातिके लोग ठहरा सके हैं परन्तु साधारण तौरसे २५ वर्ष की उमर तक स्त्रीका जवान कहाजा सक्ता है इस लिये जबतक जवानी की अवस्था बाकी है तबतक विधवा का दूसरी शादी करने से जबर दस्ती मना नहीं करना चाहिये अगर वो अपनी खुशी से पुनर्विवाह की इच्छा न करे और उसके चित्त में विरक्तता उतपन्न हो जाय तो बहोत अच्छी बात है फिर विवाह का काम नहीं रहा क्योंकि मनुजी ने लिखा है कि.

मृते भर्त्तरि साध्वी स्त्री ब्रह्मचर्ये व्यवस्थिता।
स्वर्गं गच्छत्यपुत्रापि यथते ब्रह्मचारिणः

अर्थ—पति के मरने पर जो नेक चलन औरत ब्रह्म चर्य को धारण करती है वो बे औलाद हो तो भी स्वर्ग को

जाती है जैसे के ब्रह्मचारी पुरुष (अर्थात वो लोग कि जो हमेशा ब्रह्मचारी ही बने रहते हैं और ग्रहस्थ आश्रम को अंगीकार नहीं करते हैं).

तात्पर्य यही हुवा कि अपने पति के मरने के बाद हरएक जवान स्त्री चाहे तो ब्रह्मचर्य में रह सक्ती है और चाहे तो पुनर्विवाह कर सक्ती है.

इन सब बातों से स्पष्ट है कि विधवा विवाह शास्त्र से अनुमत और विद्वानों के सम्मत है और इस को मने करने में एक तरह का पाप है इस लिये आशा की जाति है कि जो सज्जन इस पुस्तक को देखेंगे तो इस विषय पर पूर्ण विचार करेंगे और अनाथ विधवाओं की सहाय में उद्युक्त होंगे.

नोट—यह पुस्तक विना मूल्य मिलेगी जिस सत्पुरुष को मंगानी हो वे राय बहादुर नानकचंद सी० आय० ई० इंदोर से मगा लें.

जबतक मनुष्य विषयोंसे असहयोग न करे, उनके प्रलोभनोंसे दूर न रहे तबतक वह उनमें फंसता ही रहेगा। इस श्लोकका आशय यह है कि विषयोंके साथ खेल खेलना और उनसे अछूते रहना यह अनहोनी बात है।

जिसने मान-मोहका त्याग किया है, जिसने आसक्तिसे होनेवाले दोषोंको दूर किया है, जो आत्मामें नित्य निमग्न है, जिसके विषय शांत हो गये हैं, जो सुखदु:खरूपी द्वंद्वोंसे मुक्त है वह ज्ञानी अविनाशी पदको पाता है। ५

वहां सूर्यको, चंद्रको या अग्निको प्रकाश नहीं देना पड़ता। जहां जानेवालेको फिर जन्मना नहीं पड़ता, वह मेरा परमधाम है। ६

मेरा ही सनातन अंश जीवलोकमें जीव होकर प्रकृतिमें रहनेवाली पांच इंद्रियोंको और मनको आकर्षित करता है। ७

(जीव बना हुआ यह मेरा अंशरूपी) ईश्वर जब शरीर धारण करता है या छोड़ता है तब यह उसी तरह (मनके साथ इंद्रियोंको) साथ ले जाता है जैसे वायु आसपासके मंडलमेंसे गंध ले जाता है। ८

और वह कान, आंख, त्वचा, जीभ, नाक और मनका आश्रय लेकर विषयोंका सेवन करता है। ९